रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2505] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936
No. 2505] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3102(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3(क) की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 16 जून, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं. का. आ. 1548(अ) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित:-

(क) पृष्ठ सं. 115 पर, गांव "(17) राधा किशोरगंज सं. 37" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 1901 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 1899 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(18) मागुरछारा सं. 8" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा।

(ख) पृष्ठ सं. 115 पर, गांव "18 मागुरछारा सं. 8" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2408 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2408 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(19) फूलचरी सं. 11" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा।

(ग) पृष्ठ सं. 116 पर, गांव "(19) फलचरी सं. 11" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 344/2996 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 345/3044 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(20) गुआचंद सं. 22" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा।

(घ) पृष्ठ सं. 117 पर, गांव "(20) गुआचंद सं. 22" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2611 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2613 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(21) मनु बाजार सं. 12" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा।

(ङ) पृष्ठ सं. 119 पर गांव "(21) मनु बाजार सं. 12" की प्रविष्टि, सर्वे सं. 2849 (खंड) का अध्ययन "2499 (खंड) के रूप में किया जाएगा ।

(च) पृष्ठ सं. 120 पर, गांव "(23) मध्य पिलक सं. 27" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 140 और 143 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 64 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(24) दौलबाड़ी सं. 30" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा ।

(छ) पृष्ठ सं. 120 पर, गांव "(24) दौलबाड़ी सं. 30" की **प्रविष्टि** से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2076 और 2077 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2077/4351 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(25) हरीना सं. 23" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा ।

(ज) पृष्ठ सं. 121 पर, गांव "(25) हरीना सं. 23" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 3978 और 3980 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 3981 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(26) पश्चिम जेलेफा सं. 27" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा ।

(झ) पृष्ठ सं. 122 और 123 पर, गांव "(26) पश्चिम जेलेफा सं. 27" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 1847 और 3432 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 2515 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(27) पूर्व जेलेफा सं. 26" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा ।

(ञ) पृष्ठ सं. 123 पर, गांव "(27) पूर्व जेलेफा सं. 26" की प्रविष्टि से ब्यौरे सहित सर्वे सं. 115 और 116 (भाग) को हटा दिया जाएगा और इस सर्वे को उनके ब्यौरे सहित सर्वे सं. 117 (भाग) की प्रविष्टि के ऊपर गांव "(28) सबरूम सं. 31" की प्रविष्टि में शामिल किया जाएगा ।

[फा. सं. एनएच-12037/86/2014/टीआर/एसएआरडीपी-एनई]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2014

S.O. 3102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section of 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification No. S.O. 1548(E) dated the 16th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th June, 2014 of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways.

The Schedule of the said notification is amended as below:—

(a) On page number 115, survey number 1901 (part) alongwith its details, shall be deleted from entries of village ("17) Radhakishoregang No. 37" and this survey number alongwith its details, shall be inserted in the entries of village "(18) Magur Chhara No. 8", above the entry of survey Number 1899(part).

(b) On page number 115, survey number 2408(part) alongwith its details, shall be deleted from entries of village "(118) Magur Chhara No.8" and this survey number alongwith its details, shall be inserted in the entries of village "(19) Phulchhari No. 11", above the entry of survey number 2408 (part).

(c) On page number 116, survey number 344/2996 (part) alongwith its details, shall be deleted from entries of village "(19) Phulchhari No. 11" and this survey number alongwith its details shall be inserted in the entries of village "(20) Guachand No. 22", above the entry of survey Number 345/3044(part).

(d) On page number 117, survey Number 2611 (part) alongwith its details, shall be deleted from entries of village "(20) Guachand No. 22" and this survey number alongwith its details, shall be inserted in the entries of village "(21) Manu Bazar No. 12", above the entry of survey number 2613 (part).

(e) On page number 119, in the entries of village "(21) Manu Bazar No. 12", Survey Number "2849 (part)" shall be read as "2449 (part)".

(f) On page number 120, survey Numbers 140 (part) and 143 (part) alongwith their details, shall be deleted from entries of village "(23) Madhya Pilak No. 27" and these survey number alongwith their details, shall be inserted in the entries of village "(24) Daulbari NO 30", above the entry of survey Number 64 (part).

(g) On page number 120, survey numbers 2076 (part) and 2077 (part) alongwith their details, shall be deleted from entries of village "(24) Daulbari No. 30" and these survey numbers alongwith their details, shall be inserted in the entries of village "(25) Harina No. 23", above the entry of survey Number 2077/4351(part).

(h) On page number 121, survey numbers 3978 (part) and 3980 (part) alongwith their details, shall be deleted from entries of village "(25) Harina No. 23" and these survey numbers alongwith their details, shall be inserted in the entries of village "(26) Paschim Jalefa No. 27", above the entry of survey Number 3981 (part).

(i) On page numbers 122 and 123, survey Numbers 1847 (part) and 2432 (part) alongwith their details, shall be deleted from entries of village "(26) Paschim Jalefa No. 27" and these survey numbers along with their details, shall be inserted in the entries of village "(27) Purba Jalefa No. 26", above the entry of survey Number 2515(part).

(j) On page number 123 survey Numbers 115 (part) and 116 (part) alongwith their details, shall be deleted from entries of village "(27) Purba Jalefa No. 26" and these survey numbers alongwith their details, shall be inserted in the entries of village "(28) Sabrum No. 31", above the entry of survey Number 117(part).

[F. No. NH-12037/86/2014/TR/SARDP-NE]

V. KRISHNASWAMY, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3103(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में दिनांक 16 जून, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं. का. आ. 1546(अ) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची नीचे दिए गए अनुसार संशोधित की जाएगी :—

(क) पृष्ठ सं. 38, सर्वे सं. 2165 के लिए कॉलम सं. 8 के अंतर्गत "(5) पथालियाघाट", गांव "(7) पथालियाघाट" से संबंधित प्रविष्टि में "97" को "970" पढ़ा जाएगा ।

(ख) पृष्ठ सं. 38 पर तालुक "(5) पथालियाघाट" ग्राम "(7) पथालियाघाट" से संबंधित प्रविष्टि कॉलम सं., के अंतर्गत सर्वे सं. '2072' को "2074" पढ़ा जाएगा ।

[फा. सं. एनएच-12037/86/2014/टीआर/एसएआरडीपी-एनई]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2014

S.O. 3103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section of 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications No. S.O. 1546(E) dated the 16th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th June, 2014 of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways.

The Schedule of the said notification is amended as below:-

(a) One page number 38, entry relating to taluk "(5) Pathaliaghat", village "(7) Pathaliaghat", for survey Number 2165, under column Number 8,"97" shall be read as "970".

(b) On page Number 38, entry relating to taluk "(5) Pathaliaghat", village "(7) Pathaliaghat", under column No. (s), survey No. '2072' shall be read as "2074".

[F. No. NH-12037/86/2014/TR/SARDP-NE]

V. KRISHNASWAMY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.